

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2014/ज्येष्ठ 3, 1936

No. 159]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2014/JYAISTHA 3, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2014

सं. ग्राआरूवि. केका. आरआरबी.बी.सी.सं. 94/03.05.100/2013-14.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :

1) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा, पश्चिम बंगाल

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असाधारण/38/14]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2014

No. RPCD.CO RRB.BC. No. 94/03.05.100/2013-14.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Bank, namely:

1. Paschim Banga Gramin Bank , Howrah , West Bengal

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT. III/4/Extty./38/14]

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2014

सं. ग्राआरूवि. केका. आरआरबी.बी.सी.सं. 95/03.05.100/2013-14.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :

1. वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धवान, पश्चिम बंगाल
2. हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
3. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरि, पश्चिम बंगाल
4. विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
5. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
6. हिंडोन ग्रामीण बैंक, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
7. बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर, ओडिशा
8. कटक ग्राम्य बैंक, कटक, ओडिशा

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असाधारण/38/14]

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2014

No. RPCD.CO.RRB.BC.No. 95/03.05.100/2013-14.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Banks, namely :

1. Bardhman Gramin Bank, Burdwan, West Bengal
2. Howrah Gramin Bank, Howrah, West Bengal
3. Mayurakshi Gramin Bank, Suri, West Bengal
4. Cuttack Gramya Bank, Cuttack, Odisha
5. Balasore Gramya Bank, Balasore, Odisha.
6. Hindon Gramin Bank, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
7. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
8. Vidur Gramin Bank, Bijnor, Uttar Pradesh

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./38/14]